

क्रमांक 30/27, 80-एस० (I) (ए)

No. 1676/80-एस०

लोकसभा का विषय

प्रेषक

गोपनीय रिपोर्ट अधिकारी का लिखने हेतु उपर्युक्त क्रमांक

क्रमांक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार !

सेवा में

उपर्युक्त अधिकारी का लिखने हेतु उपर्युक्त क्रमांक

क्रमांक

आयुक्त अम्बाला, हिसार मण्डल।

दिनांक चण्डीगढ़ 30 अक्टूबर, 1980

विषय :—वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट—अनुसूचित जातियों/जन जातियों के विकास तथा संरक्षण हेतु किए गए कार्य वारे टिप्पणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उपायुक्तों/पुलिस अधीक्षकों तथा उप अधिकारियों (ना०)/उपाधीक्षक पुलिस की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने हेतु निर्धारित फार्मों में एक और कालम जोड़ दिया जाये जिसमें Effectiveness in the development and protection of Scheduled Castes/Scheduled Tribes के बारे Reporting Authority द्वारा टिप्पणी दी जाए और वह टिप्पणी निम्नलिखित बिन्दुओं पर हो :—

- (a) Attitude towards Scheduled Castes/Scheduled Tribes.
- (b) Sensitivity to Social Justice.
- (c) Ability to take quick and effective action to prevent and quell atrocities and ensure justice to Scheduled Castes/Scheduled Tribes.
- (d) Effectiveness in bringing about the development of Scheduled Castes/Scheduled Tribes.

निर्धारित फार्मों का तदानुसार संशोधन करके अग्रिम कार्यवाही की जाए। यह निर्णय वर्ष 1980-81 के लिए लिखी जाने वाली रिपोर्टों से लागू होगा।

कृपया इस पत्र की पावरी भेजें।

भवदीय,

हस्ता/-

अवर सचिव, शासन,

क्रमांक 30/27/80-एस० (I) (ए) दिनांक चण्डीगढ़ 30 अक्टूबर, 1980

एक एक प्रति राज्य में सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, उप अधिकारियों (ना०) उपाधीक्षक पुलिस को सुचनार्थ प्रेषित है।